जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि. / प्र.नि. / मु.अ.(मु.) / अ.अ.(आर.ए.–सी.) / फा /प्रे. 2686 दि. 21.09.12

आदेश

विषयः कृषि कनेक्शन हेतु प्रमाण--पत्र के संदर्भ में।

निगम आदेश संख्या वाणिज्य / जोधपुर डिस्कॉम – 533 दिनांक 02.08.2010 के तहत कृषि कनेक्शन हेतु आवेदन के समय लिये जाने वाले तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रमाण–पत्र का प्रारूप आवेदन पत्र में निर्धारित किया गया था।

विभिन्न प्रमाण पत्रों के संबंध में प्रमाण–पत्रों की प्रक्रिया के सरलीकरण हेतु अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट दिनांक 22.06.2012 के अनुसार जब आवेदनकर्ता अपनी भूमि की जमाबन्दी जो उसके मालिकाना हक का प्रमाण है तथा खसरे का नक्शा जिसमें कुआं बनाने का अंकन किया हुआ है की प्रति आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत कर देता है एवं विद्युत विभाग का विभागीय प्रतिनिधि मौके की तस्दीक कर लेता है तो राजस्व अधिकारी के द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है।

इस संबंध में डिस्कॉम कॉर्डिनेशन फॉरम की 42वी बैठक दिनांक 13.08.2012 को आयोजित की गई जिसमें उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए तहसीलदार द्वारा प्रमाणित प्रमाण पत्र लिए जाने के प्रावधान को समाप्त कर इसके स्थान पर आवेदक की कृषि भूमि की जमाबंदी, खसरे का नक्शा एवं 10 रू. के नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर (नोटेरी द्वारा सत्यापित) संलग्न प्रारूप के अनुसार शपथ पत्र लिए जाने का निर्णय लिया गया है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में मामला तहसीलदार / उपखण्ड अधिकारी को विवाद के संबंध में निर्णय / समाधान हेतु भेजा जा सकता है।

सभी संबंधित अधिकारी / कर्मचारी तुरन्त प्रभाव से उपरोक्त दिशा निर्देश की पालना सुनिश्चित करेंगे।

आज्ञा से

21/9/12

(पी.एम. खत्री)
मुख्य अभियन्ता (मुख्यालय)
जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

नोट : यह आदेश जोधपुर डिस्कॉम की वेबसाइट www.jdvvnl.com पर भी उपलब्ध है।

''प्रमाण पत्र तहसीलदार'' के स्थान पर उपभोक्ता/प्रार्थी से लिये जाने वाले ''शपथ पत्र का प्रारूप''

शपथ पत्र

मै/हम... सुपुत्र/सुपुत्री/पत्नी श्री.. जाति .... निवासी ग्राम/शहर... शपथपूर्वक बयान करता हूँ/करते है कि मेरा/हमारा कुआं...ग्राम के भू राजस्व क्षेत्र में स्थित है तथा मेरा/हमारा कुआं राजस्व अभिलेख के अनुसार खसरा नं........................ में स्थित है और यह खेती के कार्य में ही उपयोग में लिया जाता है। इस कुएं व खेत का मैं/हम स्वयं ही मालिक हूँ/है। इस शपथ पत्र में उल्लेखित कोई तथ्य गलत पाया जावे तो उसके लिए मेरी/हमारी जिम्मेदारी रहेगी।